

पत्र संख्या : 7ब/4701 योजना ज०सं०-10/2018 236

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, देवघर/हजारीबाग/यांत्रिक, राँची ;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी।
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक: 29/3/19

विषय :- माँग संख्या-49-जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय, उप शीर्ष-46-सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45-निर्माण कार्य विपत्र कोड-49S470180800460545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

प्रसंग :- प्रशासनिक स्वीकृतिदेश संख्या-65/18-19, दि०-13.02.19, 41/17-18, दि०-22.09.17, 59/17-18, दि०-29.11.17, 35/17-18, दि०-01.09.17, 33/18-19, दि०-23.10.18 एवं 28/14-15, दि०-12.19.14

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट 1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	माँग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	अवशेष बजट उपबंध से आवंटित राशि	प्राप्त प्रत्यार्पण से आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)
1.	49-जल संसाधन विभाग/ 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय/ 80-सामान्य	800-अन्य व्यय/ 46-सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन	05-निर्माण/ 45-निर्माण कार्य विपत्र कोड- 49S470180800460545	0.07	19.47	19.54

आवंटित राशि -₹ उन्नीस लाख चौवन हजार मात्र।


- आवंटित राशि वर्ष 2018-19 के तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि के उपरांत संशोधित बजट उपबंध राशि रु. 1200.00 लाख (बारह करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003, 1363 दि. 09.05.2016 एवं 2747/वि., दिनांक-19.09.2016 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम के अनुरूप किया जायेगा।
- उक्त आवंटित राशि परिशिष्ट-2, में वर्णित प्रत्यार्पण स्वीकृत करते हुये निर्गत किया जा रहा है।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव(हेमन्त कुमार)
अभियंता प्रमुख-1

8. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
9. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
10. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
11. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
12. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
13. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
14. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च, 2019 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी इकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का यथाशीघ्र प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यर्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC No सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 के स्तंभ-11 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।


अनुलग्नक-यथोक्त।


(अरुण कुमार सिंह) 29.3.19
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :- 236

राँची, दिनांक :- 29/3/19

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक), झारखण्ड पो. - हिनू, राँची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/राँची/देवघर/हजारीबाग/मेदिनीनगर/दुमका/लातेहार सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुलग्नक-यथोक्त।



(अरुण कुमार सिंह) 29.3.19
अपर मुख्य सचिव


ज्ञापांक :- 236

राँची, दिनांक :- 29/3/19


प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।


(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)


(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव


(हेमन्त कुमार)
अभियंता प्रमुख-1


(अरुण कुमार सिंह) 29.3.19
अपर मुख्य सचिव

विभागीय पत्रांक..... 236

दिनांक 29/12/19

का अनुलनक

परिशिष्ट -1

मॉग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-4701 मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परियोजना,

उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य,

लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय

उप शीर्ष - 46- सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन ।

विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45-निर्माण कार्य, 49S470180800460545

वित्तीय वर्ष 2018-19 में वृत्तीय अनुसूचक आगणन से प्राप्त राशि के उपर्युक्त संशोधित बजट उपबंध 1200.00 लाख (बारह करोड़) रुपये मात्र ।

(राशि लाख ₹ में)

क्र.	प्रबंध का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की		मार्च 2018 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवंटन			On-line Allotment Access No.	अव्ययति
				प्रसंग	राशि		पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटित राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	सिंचाई प्रमंडल, दुमका (DMKIRR002)	देवदर	दुमका जिलान्तर्गत पगला वीयर योजना के पुनर्स्थापन कार्य हेतु	28/15-16 प्र.स्वी. दिनांक 10.09.2015 Online AA-15/9/14.09.2015. 65/18-19 प्र. स्वी. दिनांक - 13.02.2019 Online AA-211/13.02.19	446.140	318.46	108.140	19.540	127.680	107113	पगला वीयर योजना का पुनर्स्थापन कार्य ।
						योग	108.140	19.540	127.680		

आवंटित राशि - ₹ उन्नीस लाख चौवन हजार मात्र ।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव

(हेमन्त कुमार)
अभियंता प्रमुख-1

(अरुण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

29.3.19

विभागीय पत्रांक..... 236

दिनांक 29/12/19

का अनुदाननक

परिशिष्ट -2

मॉग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-4701 मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,

उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य,

लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय

उप शीर्ष - 46- सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन ।

विरस्तुत शीर्ष-05-निर्माण, 45-निर्माण कार्य, 49S470180800460545

वित्तीय वर्ष 2018-19 में तृतीय अनुसूक्त आगमन से प्राप्त राशि के उपरत संशोधित बजट उपबंध 1200.00 लाख (पाठ करेछ) रुपये मात्र।

(राशि लाख ₹ में)

क्र०	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की		मार्च 2018 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवंटन			On-line Allotment Access No.	अव्ययक्ति
				प्रसंग	राशि		पूर्व का आवंटन	प्रस्तावित राशि	संशोधित आवंटन		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	याँत्रिक प्रमंडल, मंडल (लातेहार) शिविर मेदिनीनगर (LTRIRR001)	याँत्रिक	चिरका जलाशय योजना एवं अन्नराज बीयर योजना के यांत्रिक कार्य	41 / 17-18 प्र.स्वी., दिनांक-22.09.2017	44.500	0.00	18.00	3.10	14.90	49313	Renovation work of outlet gates and hoisting arrangement of Annaraj Weir Sch. (AA for this work Rs. 18.44 lakh only) Renovation work of outlet gates and hoisting arrangement etc of CHIRKA RESERVOIR SCHEME. (AA Rs 26.06 Lakh Only)
2	याँत्रिक प्रमंडल, बनासो हजारीबाग (HZBIRR028)	याँत्रिक	गोन्या जलाशय योजना एवं गोलाई बीयर योजना के विभिन्न गेटों का जीपीद्वार एवं अन्य यांत्रिक कार्य।	59 / 17-18 दिनांक 29.11.2017 Online A.A-174/13.12.17	50.840	0.00	4.75	2.39	2.36	49311	Renovation work comprising of fabrication & installation of gates, embedded part, hoisting arrangement of main outlet of "Gonda Reservoir Scheme." (AA Rs. 4.24 lakh only)
			हिरु जलाशय योजना के याँत्रिक कार्य हेतु	35 / 17-18 प्र.स्वी., दिनांक-01.09.2017	18.390	0.00	18.37	0.62	17.75	49312	Fabrication, supply/ing, fitting, fixing and erection of service and Emergency Gates with Embedded parts hoisting arrangement, trash rack and clutched plate on platform of well for "HIROO RESERVOIR SCHEME"
3	जलपथ प्रमंडल, हजारीबाग (HZBIRR008)	हजारीबाग	याँत्रिक प्रमंडल, बनासो (हजारीबाग) के अंतर्गत तेलु दोकाचो लिंक के शीर्ष नियामक के गेटों को मरम्मत से संबंधित यांत्रिक कार्य	33 / 18-19 दिनांक 23.10.2018 Online A.A-1431/23.10.18	94.393	0.00	79.250	7.780	71.47	88481	
			लोहिया जलाशय योजना का पुनर्स्थापन कार्य	28 / 14-15 दिनांक 12.09.2014 Online A.A-1438/24.10.18	732.089	448.93	280.00	2.93	277.07	66051	
योग						426.37	19.47	406.90			
क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कुल प्रस्तावित राशि - ₹ खन्नीस लाख सैतालीस हजार मात्र।											

क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कुल प्रत्यापित राशि - ₹ हज़ीस लाख सैतालीस हजार मात्र।

3211

(रमेश कुमार दूबे)

विशेष सचिव

(हेमन्त कुमार)

अभियंता प्रमुख-1

(अरुण कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभि.)

29.12.19